न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/2016

कान्ता देवी पत्नी संदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी 16 ए. रोड़वेज बस डिप्पो के पीछे, जाट कॉलोनी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. साहब सिंह पुत्र नानक सिंह चन्द जाति चौधरी निवासी न्यू शिव नगर जलन्धर (पंजाब)
2. अंजना कुमारी पुत्री नानकचन्द जाति चौधरी निवासी बेअन्त कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुरदासपुर पंजाब।
3. रेखी पुत्री नानकचन्द जाति चौधरी निवासी न्यू शिवनगर जालंधर पंजाब द्वारा मुख्तयारआम साहब सिंह पुत्र नानक सिंह व शिव सिंह पुत्र इन्द्र सिंह निवासी बेअन्त कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुरदासपुर पंजाब।
4. सुभद्र देवी पत्नी नानकचन्द जाति चोधरी निवासी न्यू शिवनगर जालंधर पंजाब द्वारा मुख्तयारआम साहब सिंह पुत्र नानक सिंह व शिव सिंह पुत्र इन्द्र सिंह निवासी बेअन्त कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुरदासपुर पंजाब।
5. कश्मीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 3 जेकेएम तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

दिनांक 21.03.2016

उपस्थितिः—

श्री जितेन्द्र सोनी, अभिभाषक अपीलांट

श्री बलदेव सिंह, अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 16.08.17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पां. सं. 1 ता 4 एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 53 का पेश कर चक 9 बीजीडीए के मु. नं. 20 प. नं. 171/381 का बंटवारा वाद पत्र की मद सं. 4 के अनुसार करने का निवेदन किया । वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 2 ने जवाबदावा पेश कर बंटवारा करने का निवेदन किया । उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 24.11.2015 को दावा स्वीकार कर विभाग के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगाने के आदेश दिए । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.03.2016 को अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिए । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को सुना नहीं एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन का प्रस्ताव दौबारा मंगवाने का निवेदन किया था जो नहीं मंगवाया गया । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध दिनांक 31.05.2016 को पेश की है । जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिक प्रक्रिया न अपनाकर सीपीसी के प्रावधानों को ignore कर निर्णय किया । यथा दावे में तनकीयात न बनाना तनकीयात पर साक्ष्य संगृहित न करना । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.16 कर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है दावे एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात निर्माण व उन पर साक्ष्य संगृहित कर विधि एवं गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.09.2017 को उपस्थित रहें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर